भारत INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

03CC 305907

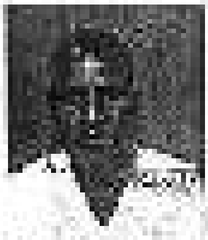

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 9,50,000/-
बाजार मूल्य	: रु0 5,56,000/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 75,000/-
मौजा	: [illegible]

यह विक्रय विलेख [illegible] व सुन्दर लाल पुत्रगण मोती व श्रीमती मंगला पत्नी स्व0 मोती निवासीगण-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs.200000

U3CC 305906

ग्राम–मुजफ्फर नगर घुसखा, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिसे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् जयराम पुत्र रामधनी वर्तमान निवासी–254, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी–ग्राम –मिर्जापुर पिपरी, पोस्ट–गोगांव, जिला–फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा 356/5 कुल रकबा 0.308 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसखा, परगना बिजनौर,

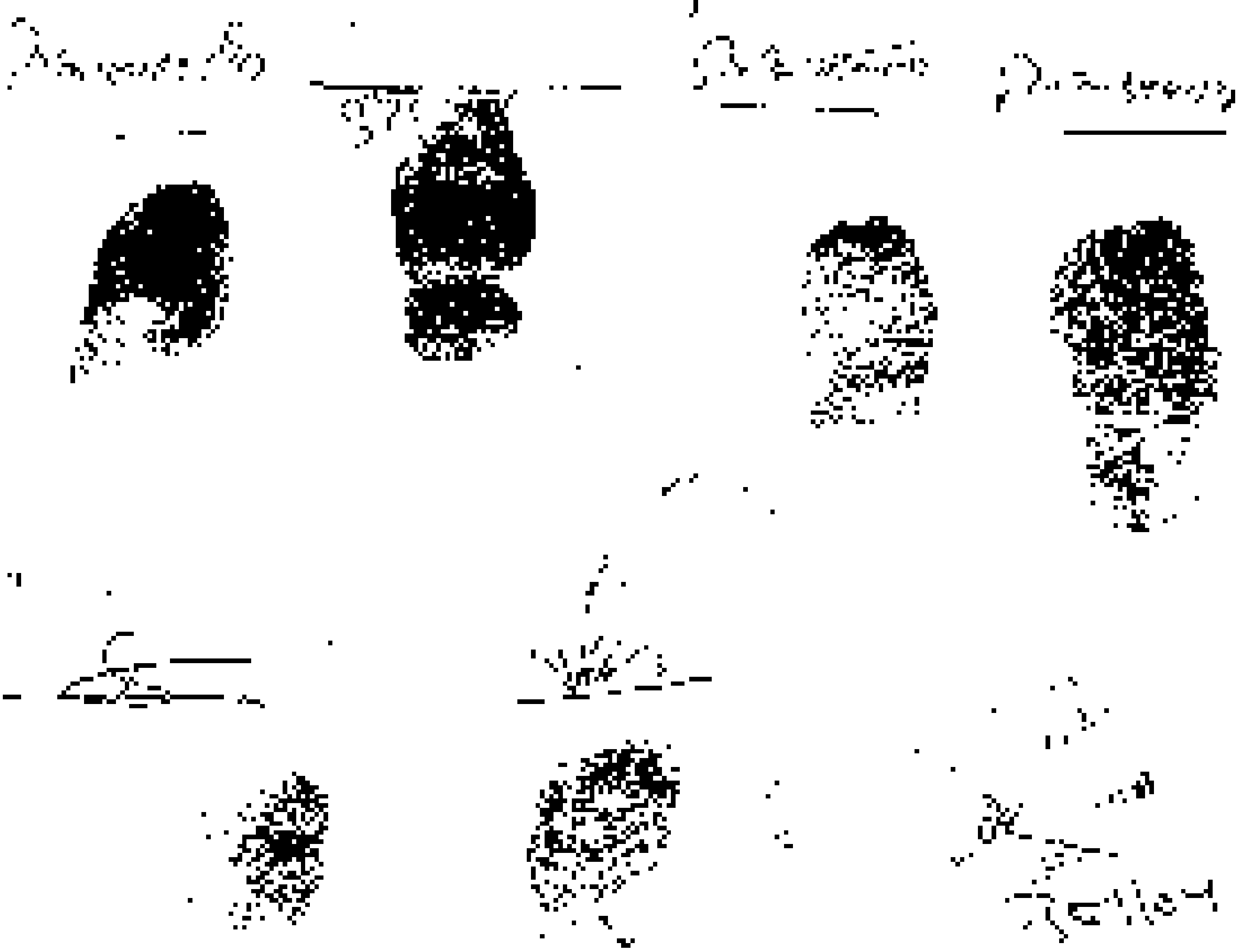

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 20000

INDIA NON JUDICIAL

03CC 305989

(3)

तहसील व जिला, लखनऊ मालिक, काबिज व काबिज है तथा अद्यतन सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 258 के अनुसार विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1412 से 1417 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1383 फसली है, अर्थात विक्रेता का पट्टा 20 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेता को अपना हिस्सा विक्रय करने का अधिकार है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक

दो हजार रुपये

RUPEES 2000

Rs.2000 INDIA NON JUDICIAL Rs.2000

B 000 [illegible]

हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु

5000Rs

भारत INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

195054

विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रु0 9.50.000/- (नौ लाख पचास हजार रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

195052

करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बजाई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

195053

निम्नलिखित सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि निम्नलिखित सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान

निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर कुसवल, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.506 हेक्टेयर की मालियत रु0 5,56,600/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 95,000/- स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व

जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति</u> का विवरण

भूमि खसरा 356/5 कुल रकबा 0.506 हेक्टेयर स्थित ग्राम सुल्तानपुर नगर धुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 356/5 रकबा 0.506 हेक्टेयर

पूरब	: खसरा संख्या–355, 310
पश्चिम	: खसरा संख्या–403, 350
उत्तर	: खसरा संख्या–364, 362, 363, 361, 360, 358, 357, 358, 355, 352
दक्षिण	: खसरा संख्या–308, 309

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रु0 9,50,000/– (नौ लाख पचास हजार रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह बिक्रीनामा पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

लखनऊ

दिनांक: 23.11.2004

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

दाखिलकर्ता

(रवि सोनी)

मसविदाकर्ता

(अनुज कुमार शुक्ला)
एडवोकेट

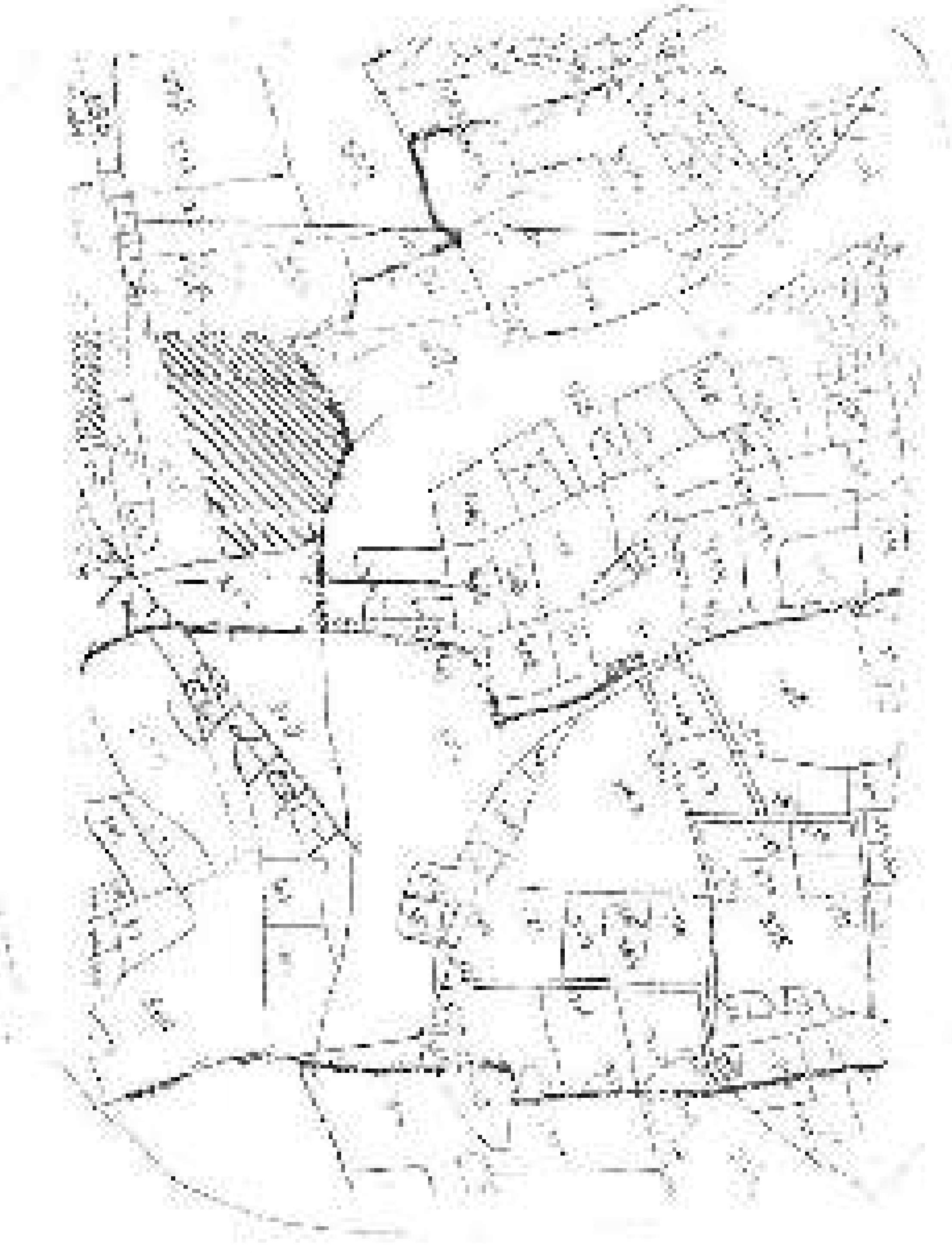

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

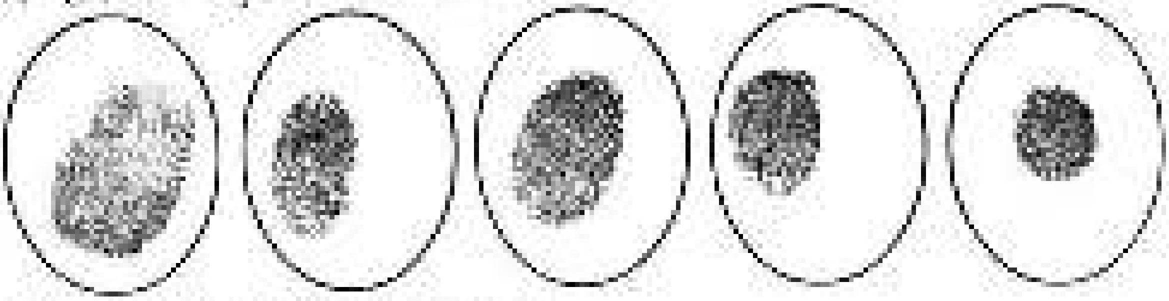

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

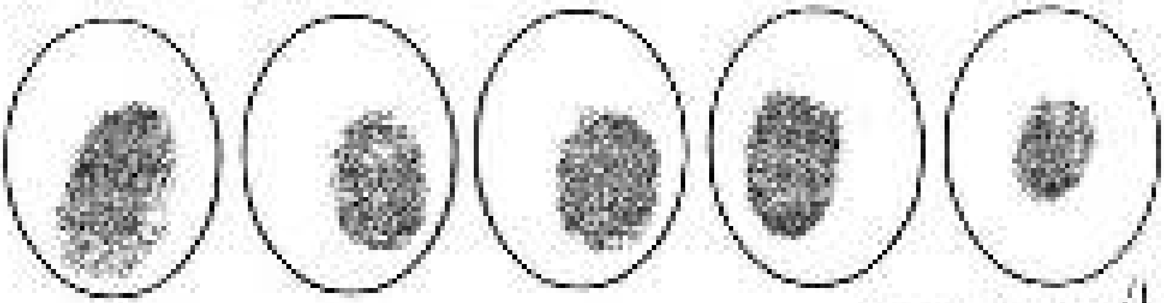

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

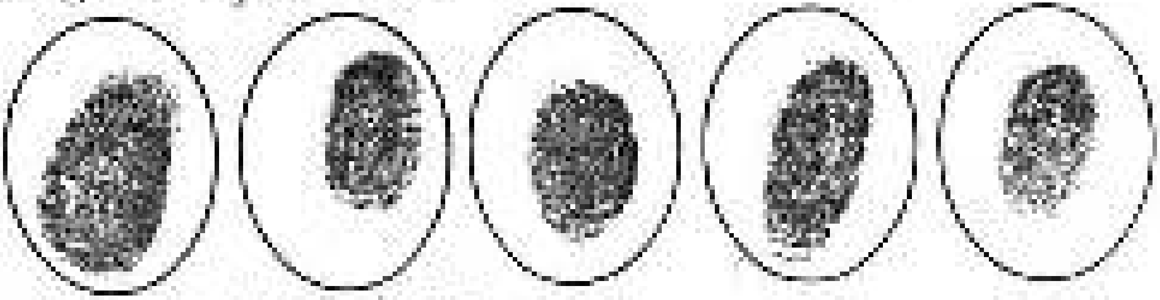

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

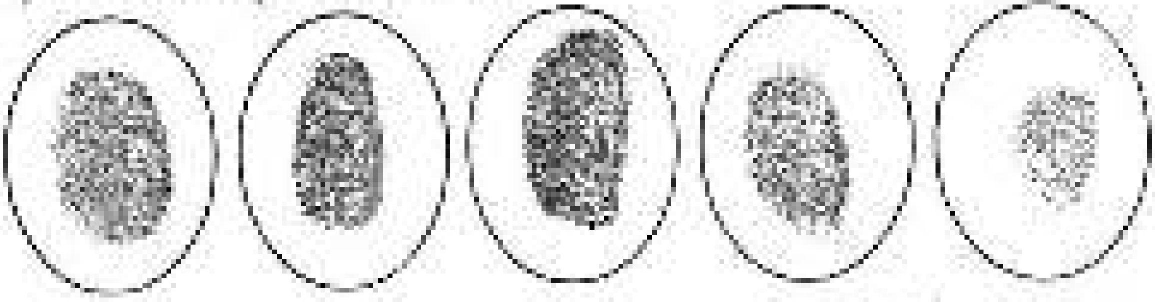

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुसार
हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

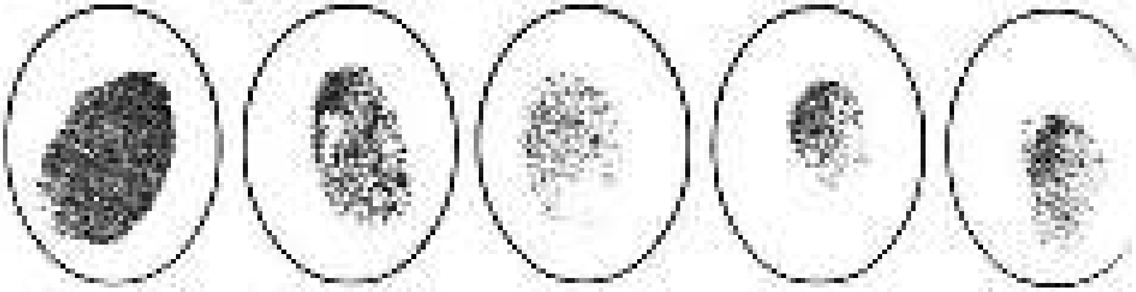

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता आदि के

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

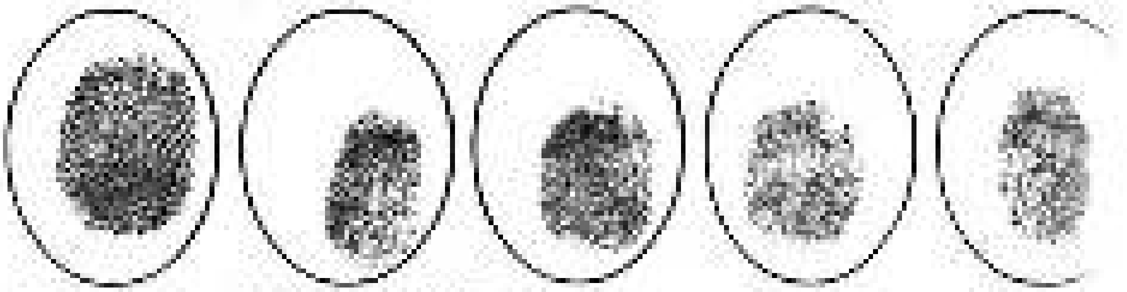

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

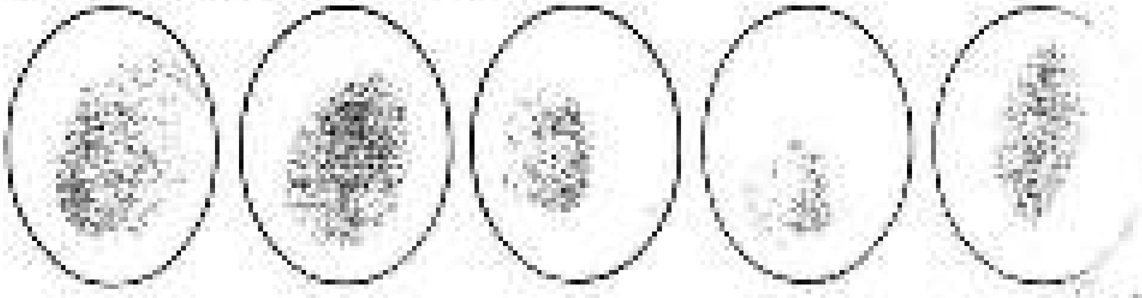

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]